न्यायालय नायब तहसीलदार भिंयाड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या 196/2024 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956

सायल	वनाम	गैर सायल
राजस्थान राज्य जरिये पटवारी भिंयाड़		डूंगरसिंह पिता भाखर सिंह जाति राजपूत निवासी भिंयाड़ ।

"निर्णय" दिनांकः–08.01.2025

पत्रावली आज वमुकाम भिंयाड़ में पेश हुई और गैर सायल अनुपस्थित पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भिंयाड़ ने धारा आर.एल.आर. एक्ट 91 के तहत रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने मौजा भिंयाड़ के खसरा नं. 1238/418 रकवा 115.06 वीघा किस्म गै.मु.ओरण में से 0.02 वीघा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा/काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार गैर सायल के विरूद्ध धारा 91 आर.एल. आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलव किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल अनुपस्थित रहा।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोपित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है। साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपये 06/– पूर्णाक में अक्षरे छः रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से वेदखल कर भूमि का कब्जा वहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का,निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 08.01..2025 को सरेआम सुनाया गया।

नायव तहसीलदार भिंयाड

न्यायालय नायब तहसीलदार भिंयाड़

Scanned with OKEN Scanner